

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

प्रार्थीगत का प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है।

अतः अप्रार्थीगत को अर्थाई निषेधाज्ञा से बाद पत्र के निर्वाह तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम वीरपुर तहसील महरा की आराजी ख० नं० 108 प्रार्थीगत के कब्जे काश्त की है, में किसी प्रकार की मजालम - मदावसत नहीं करें नींव खोदकर पक्का निर्माण नहीं करें एवं मौका स्थिति यथावत बनाये रखें। फत्रावली फंसल शुमार होकर मूल बाद के साथ लक्षण हो।

आदेश हुआ जाता।

उपखण्ड अधिकारी
महरा जिला दौरा